न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:— **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **206 / 2024** दायर दिनाँक **26.07.2024**

वादी

1. दीप सिंह पुत्र ओनाड सिंह जाति राजपूत निवासी छापरीकलां तहसील मौलसर जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. अमरसिंह पुत्र ओनाड़ सिंह
2. जगमाल सिंह पुत्र ओनाड़ सिंह
3. पेप सिंह पुत्र ओनाड सिंह
4. लिछमण सिंह पुत्र ओनाड सिंह
5. हनुमान सिंह पुत्र ओनाड सिंह
6. दशरथ सिंह पुत्र भंवरसिंह
7. भवानी सिंह पुत्र भंवर सिंह
8. शिम्भु सिंह पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी छापरीकलां तहसील मौलसर जिला नागौर राज0।
9. तहसीलदार मौलासर ।

दावा बाबत्

बंटवाड़ा, घोषणा रास्ता व स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा— 53, 88, 136

1. श्री भैरों सिंह शेखावत वकील वादी।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक **23.01.2025**

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 08 की पुश्तैनी कृषि भूमियां खसरा सं0 80 रकबा 1.8100 हैक्टे0, खसरा सं0 83 रकबा 0.0400 हैक्टे0, खसरा सं0 84 रकबा 5.3600 हैक्टे0, खसरा सं0 98 रकबा 2.8800 हैक्टे0 कुल खसरा 4, कुल रकबा 10.0900 हैक्टे0 वाकै सरहद ग्राम छापरीकलां तहसील मौलासर में अवस्थित है।

वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 8 के कब्जे काश्त एवं खातदेारी की कृषि भूमि खसरा सं0 80, 83 के अलावा खसरा सं0 84 रकबा 5.3600 हैक्टे0, खसरा सं0 98 रकबा 2.8800 हैक्टे0 वाकै सरहद छापरीकलां में अवस्थित है जिनका जो एक ही खाते में संयुक्त सामलाती एक ही बाउण्ड्री के अन्दर अवस्थित है जिनके मध्य से वर्तमान में रोड़ निकाली जा चुकी है जिससे मौके पर भूमियां दो भागो में विभक्त हो चुकी है लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने गलती से खसरा सं0 84 जिसकी जमाबन्दी में रकबा 5.3600 है तथा नक्शा भी 5.3600 हैक्टे0 का ही बनाया गया है लेकिन मौके पर रकबा 4.5300 हैक्टे0 ही है इस प्रकार खसरा सं0 84 मौके पर 4.5300 हैक्टे0 होने के बावजूद राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी व नक्शे में 0.8300 हैक्टे0 रकबा बढा दिया जो रकबा चा 98 में कम कर दिया गया। इसी प्रकार खसरा सं0 98 में वर्तमान जमाबन्दी व नक्शे में रकबा 2.8800 हैक्टे0 दर्शाया गया है लेकिन मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार रकबा 3.7200 हैक्टे0 अवस्थित है इस प्रकार जमाबन्दी व नक्शे में मौके के विपरीत रकबा कम दर्शाया गया है जो राजस्व कर्मचारियों ने सहवन से किया गया है जबकि कानूनी स्थिति स्पष्ट है कि किसी भी काश्तकार का रकबा जितना जमाबन्दी व नक्शे में है उतना ही रकबा मौके पर भी अवस्थित होना आवश्यक है लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने सहवन से खसरा सं0 84 का रकबा मौके के विपरीत जमाबन्दी व नक्शे में बढा दिया व खसरा सं0 98 का रकबा जमाबन्दी व नक्शे में कम कर दिया इस प्रकार दानो खसरा सं0 84 में मौके के विपरीत रकबा बढा दिया गया व खसरा सं0 98 में रकबा कम कर दिया गया। जिसे निम्नानुसार दुरूस्त किया जावें।

खसरा सं0	जमाबन्दी व नक्शे में	अन्तर	दुरूस्त किया जाना
84	5.3600	0.8300	4.5300
98	2.8800	0.8400	3.7200

उपखण्ड ...
डीड...

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.08 11:17:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना वादी निम्न प्रकार है:–

राजस्व रेकार्ड व जमाबन्दी व नक्शा में दुरूस्ती इस प्रकार की जावें कि कृषि भूमि खसरा सं0 84 5.3600 हैक्टे0 को मौके पर कब्जे काश्त के मुताबिक रकबा 4.5300 हैक्टे0 दर्ज कर दुरूस्ती की जावें व खसरा सं0 98 रकबा 2.8800 हैक्टे0 को मौके पर कब्जे काश्त के मुताबिक रकबा 3.7200 हैक्टे0 दर्ज कर दुरूस्ती की जावें। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अंकन किए जाने की उद्घोषणा की जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 9 तामिलगी के बावजूद न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही प्रभाव में लाई जाने का आदेश पारित किया गया। प्रतिवादी सं0 3, 5, 7, 8 का इकबालिया जवाब पेश हुआ। वादी व प्रतिवादी सं0 1, 2, 4 व 6 ने राजीनामा पेश किया।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी ने बहस अपने वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए दावा डिक्री किए जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने राजीनामा के अनुसार दावा डिक्री करने की सहमती व्यक्त की है।

बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया, वाद वर्णित भूमियों में वादी मौके के अनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त करवाने की इस्तदुआ कर रहा है। प्रतिवादीगण ने इकबाली जवाब तथा राजीनामा पेश कर वाद को स्वीकार किया है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों व राजीनामा व इकबाली जबाब दावा के परिपेक्ष्य में वादी का हस्तगत वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

–:: आदेश ::–

दावा डिक्री सादिर कर वाकै सरहद ग्राम छापरीकलां के खेत खसरा सं0 84 में रकबा 5.3600 हैक्टे0 के स्थान पर 4.5300 हैक्टे0 व खसरा सं0 98 में रकबा 2.8800 हैक्टे0 के स्थान पर 3.7200 हैक्टे0 राजस्व रेकर्ड व नक्शे में दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार रेकर्ड दुरूस्त हो।

(विकास मोहन भाटी)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **23.01.2025** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(विकास मोहन भाटी)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.08 11:17:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना,
बइजलास : पीठासीन अधिकारीः– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **206/2024** दायर दिनाँक **26.07.2024**

वादीगण

1. दीप सिंह पुत्र ओनाड सिंह जाति राजपूत निवासी छापरीकलां तहसील मौलसर जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. अमरसिंह पुत्र ओनाड़ सिंह
2. जगमाल सिंह पुत्र ओनाड़ सिंह
3. पेप सिंह पुत्र ओनाड सिंह
4. लिछमण सिंह पुत्र ओनाड सिंह
5. हनुमान सिंह पुत्र ओनाड सिंह
6. दशरथ सिंह पुत्र भंवरसिंह
7. भवानी सिंह पुत्र भंवर सिंह
8. शिम्भु सिंह पुत्र भंवर सिंह समस्त जाति राजपूत निवासी छापरीकलां तहसील मौलसर जिला नागौर राज0।
9. तहसीलदार मौलासर ।

दावा बाबत्
बंटवाड़ा, घोषणा रास्ता व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–188, 53, 88

दिनाँक **23.01.2025**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री भैरों सिंह शेखावत वकील वादी की आरे से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है दावा डिक्री सादिर कर वाकै सरहद ग्राम छापरीकलां के खेत खसरा सं0 84 में रकबा 5.3600 हैक्टे0 के स्थान पर 4.5300 हैक्टे0 व खसरा सं0 98 में रकबा 2.8800 हैक्टे0 के स्थान पर 3.7200 हैक्टे0 राजस्व रेकर्ड व नक्शे में दुरूस्त किया जाता है। तद्नुसार रेकर्ड दुरूस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–................

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **23.01.2025** को सरे इजलास में जारी की गयी।

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिग्री के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.08 11:17:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner